

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्थापना-II

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक : 18/07/2022

परिपत्र


विषय: संविदा आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में परामर्शदाता की नियुक्ति।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संविदा आधार पर परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। परामर्शदाता की तैनाती स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में होगी। परामर्शदाता की नियुक्ति से संबंधित विस्तृत नियमों व शर्तों संलग्न हैं। योग्यता-मानदंड व अन्य विवरण निम्न प्रकार से है:

1. संविदा आधार पर नियुक्त किए जाने वाले परामर्शदाता की संख्या	2
2. आयु सीमा	आवेदन की तारीख को अधिकतम 62 वर्ष
3. कार्यस्थल	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
4. संविदा की अवधि	एक वर्ष
5. पात्रता	
6. कार्यभार	अनुलग्नक के अनुसार

2. इच्छुक व्यक्ति जो तत्काल रूप से पद को संभालने की स्थिति में हैं वे इस परिपत्र के जारी होने के दो सप्ताह के अंदर संबंधित दस्तावेजों (PPO) के साथ संलग्न प्रारूप में अपना विवरण "अवर सचिव (प्रशासन), कमरा नंबर-330 'सी-विंग', निर्माण भवन" को संबोधित करते हुए "सी.आर. अनुभाग, गेट नंबर-6, ग्राउंड फ्लोर, निर्माण भवन, नई दिल्ली" में जमा करा दें।

3. हिंदी अनुवाद में किसी भी त्रिमंगति की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण का पालन किया जाएगा।



(राजीव जायमवाल)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफैक्स: 23061323

1. विभाग की वेबसाइट में परिपत्र के प्रकाशन हेतु एन.आई.सी. को प्रतिलिपि
2. ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड ई-ऑफिस
3. नोटिस बोर्ड

	कार्यभार (अवधि - एक वर्ष)	पात्रता
1	<p>भर्ती नियम तैयार करना / संशोधित करना; इस प्रभाग से संबद्ध / अधिनस्थ कार्यालय एवं स्वायत्तशासी निकाय से संबंधित सभी प्रशासनिक/स्थापना संबंधी मुद्दे / प्रशासनिक परम्पराओं और विभिन्न न्यायालयों / प्रशासनिक न्यायाधीकरणों के नियमों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित मामलों सहित न्यायालय संबंधी मामलों की संभाल,</p> <p>जनशक्ति विनियोजन /संरचना की योजना बनाना / प्रस्ताव तैयार करना / भर्ती, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति संबंधी मामले।</p> <p>औषधि विनियामक प्रणाली को सुदृढ बनाने संबंधी मामले, जिनमें राज्यों को अनुदान जारी करने और राज्य सरकारों के साथ मामले को उठाने एवं बजट संबंधी मामले सम्मिलित हैं। उक्त योजना का मूल्यांकन एवं वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रदत्त अन्य मामले तथा कार्य।</p>	<p>(2 पद)</p> <p>हाल ही में सेवानिवृत्त केंद्र सरकार केअनुभाग अधिकारी या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी, जो स्नातक उपाधि सहित 62 वर्ष से कम आयु के हैं।</p> <p>उन लोगों को वरीयता दी जाएगी जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं और जिनके पास प्रासंगिक क्षेत्र का अनुभव है।</p>

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु नियम व शर्तें:-

1. परामर्शदाता को नियंत्रण अधिकारी द्वारा सौंपे जाने वाले कार्यों को करना होगा।
2. सामान्य कार्यालयी घंटे सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 9.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक होंगे जिसमें अपराह्न 1.00 बजे से 1.30 बजे तक 30 मिनट का लंच ब्रेक होगा।
3. परामर्शदाता एक वर्ष की नियुक्ति अवधि के दौरान मेवा के हर पूरे महीने के लिए 1.5 दिन अवकाश का हकदार होगा जिसके लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी।
4. विशेष परिस्थितियों में, परामर्शदाता को छुट्टियों में कार्य के लिए बुलाया जा सकता है या सामान्य कार्यालयी घंटों से अधिक समय के लिए रोका जा सकता है।
5. संविदात्मक नियुक्ति अधिकतम एक वर्ष के लिए है जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है। परामर्शदाता को समेकित पारिश्रमिक का भुगतान टीडीएस आदि के अधीन पेंशन को घटाकर अंतिम लिए गए वेतन के फार्मूले के अनुसार किया जाएगा। वह मेवानिवृत्ति के समय आह्वित ममान दर पर परिवहन भत्ते का हकदार होगा/होगी।
6. माह में किए जाने वाले कार्य के पारिश्रमिक का भुगतान अगले माह में किया जाएगा। कार्यालयी दौरे करने पर टीए/डीए को छोड़कर अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा। टीए/डीए पात्रता वही होगी जिसके लिए वे सेवानिवृत्त होते समय पात्र थे।
7. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास परामर्शदाता की सेवाओं की जांच/समीक्षा करने का अधिकार होगा।
8. वह अपने दायित्वों को पूरे कौशल, परिश्रम, क्षमता व किफायत के साथ करेंगे।
9. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उन्हें कोई भी चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। पारिश्रमिक में चिकित्सा संबंधी लागत को कवर किया माना जाता है, यदि कोई हो।
10. मंत्रालय यात्रा सहित उन्हें कार्य करते समय या उसके अलावा होने वाली किसी भी हानि, दुर्घटना, नुकसान/क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
11. सेवाकाल के दौरान, वो किसी भी व्यावसायिक के कार्यकलाप के निजी व्यापार में शामिल नहीं होंगे जो सरकार से हित का टकराव पैदा करें।
12. वह सभी सरकारी जानकारी को गोपनीय रखेंगे और उपर्युक्त का उपयोग केवल कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य हेतु ही करेंगे।
13. सेवा को किसी भी पक्ष द्वारा एक माह के नोटिस दिए जाने के द्वारा समाप्त किया जा सकता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु आवेदन प्रारूप

आवेदित पद:
नाम:
पिता का नाम:
जन्म तिथि:
आधार सं:

सेवानिवृत्त की तारीख:
अंतिम कार्यालय का नाम:
अंतिम पदनाम:
अंतिम आहरित वेतन (मूल वेतन)
पे लेवेल / ग्रेड पे
पेंशन (मूल)

दूरभाष सं:
मोबाइल नंबर:
ई-मेल आईडी:
मेलिंग पता:
स्थायी पता:

शैक्षिक अर्हता:

कार्य अनुभव (अलग से पेपर लगाएं , यदि आवश्यकता हो)

संगठन/संस्थान	अवधि		कार्य की प्रकृति	टिप्पणियां
	कब से	कब तक		

मैं प्रमाणित करता हूं कि इस आवेदन में दी गई जानकारी आवेदन की तारीख तक सच और सही है। मैं समझता हूं कि जानकारी छिपाने / गलत सूचना देने का परिणाम नियुक्ति से इंकार / रोजगार की समाप्त या नागरिक दंड हो सकता है।

स्थान:

दिनांक:

(हस्ताक्षर)